

राजस्थान सरकार

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

पत्रांक: एफ.८( ) आ.प्र.एवं सहा./आ.प्र./२०२०/५६२५ जयपुर, दिनांक: १५/०४/२०२०

राजस्थान जिला कलकट्टर,  
राजस्थान।

विषय:- ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप के सम्बन्ध में।

इस विभाग के पत्र क्रमांक ४३०७ दिनांक ०३.०४.२०२० द्वारा  
कोविड-१९ से उत्पन्न आपदा की परिस्थितियों में उपखण्ड मजिस्ट्रेट/इन्वीडेंट  
कमाण्डर की सहायता के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत प्रारंभिक शिक्षा  
अधिकारी की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप का गठन किया गया  
है, जिसमें ग्राम पंचायत स्तरीय अधिकारी/कर्मचारी सम्मिलित है। इस क्रम में  
सभी उपखण्ड अधिकारी/इन्वीडेंट कमाण्डर को सूचित करें कि ग्राम पंचायत स्तरीय  
कोर ग्रुप द्वारा पंचायत स्तर पर समर्त कार्य सम्बन्धित सरपंच, ग्राम पंचायत से  
राजन्य बनाए रखते हुए संपादित किये जावें तथा ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप  
को समर्त बैठकों में सम्बन्धित सरपंच, ग्राम पंचायत को सम्मान आमंत्रित कर  
उनका मार्गदर्शन भी प्राप्त किया जावे।

सिद्धार्थ  
महाजन

(सिद्धार्थ महाजन)  
शासन सचिव